दीपावली मेले का रंगारंग आगाज, लगे झूले, सजी दुकानें

पहले ही दिन छोटू सिंह ने बांधा समां, झूमे दर्शक



उदयपुर. नगर संवाददाता | नगर निगम की ओर से आयोजित किए जा रहे दशहरा-दीपावाली मेले के उद्घाटन के पहले ही दिन राजस्थान के प्रख्यात भजन गायक छोटू सिंह रावणा और भजन गायिका अनामिका अंबर ने समा बांध दिया। दोनों ने ही भजनों से मेले में आए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले ही दिन निगम परिसर में लगे मेलों में दुकान सज गई और झूलों का शहरवासियों ने आनंद लिया।

दीपावली मेले का रंगारंग आगाज बुधवार की संध्या को निम्बार्क पीठ अस्थल आश्रम के मेवाड महामण्डलेश्वर रासबिहारी शरण, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राज्य सभा सांसद चुनीलाल गरासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, गजपाल सिंह राठौड़, फतह सिंह राठौड़, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, रविन्द्र श्रीमाली, पूर्व महापौर रजनी डांगी, महापौर पारस सिंघवी, निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मास्टर बैंड के बुलबुल भाई द्वारा स्वागत धुन प्रस्तुत कि गई। मेला संयोजक प्रमोद सामर ने बताया कि मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए नगर निगम प्रांगण में ही विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े 15



झूले लगाए हैं, मेला प्रांगण में 300 दुकानें लगाई गई है, जिसमें खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, मनिहारी, घर के साज सज्जा के सामान उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की अलग अलग कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया गया है।

छोटू सिंह और अनामिका के भजनों से भक्तिमय हुआ मेला

दीपावली मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध कवयित्री एवं भजन गायिका अनामिका अम्बर एवं लोकप्रिय राजस्थानी लोक एवं भजन गायक छोटू सिंह रावणा की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों कलाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक देर तक तालियां बजाते रहे। अम्बर ने उदयपुर में पहली बार जेन जी को प्रभावित करने वाला भजन क्लबिंग प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। अम्बर के खुद के लिखे भजन राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंघासन पर ने तालियों से मेले को गुंजायमान कर दिया। छोटू सिंह रावणा ने अपनी राजस्थानी लोक गायकी, भजनों और जोशीली प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब आनंदित किया। अपनी विशिष्ट गायन शैली से उन्होंने सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया।

दुल्हन की तरह सजा निगम कार्यालय

महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि दीपावली मेले के अवसर पर पूरे निगम कार्यालय टाउन हॉल पर विद्युत सज्जा कर दुल्हन की तरह सजाया गया है। कलाकारों को प्रस्तुति के लिए ऊंचा स्टेज बनाया गया है, जिससे दूर दूर तक दर्शकों का मनोरंजन हो सके। मेले में विशेष एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है जिससे पीछे बैठने वाले दर्शक भी आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुफ्त ले सके।

आज रेपरिया बालम एवं फकीरा खान की होगी प्रस्तुति

मेला संयोजक प्रमोद सामर ने बताया कि आज राजस्थानी लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और लोकधुनों से सांस्कृतिक संध्या को सजाया जाएगा। गुरुवार को रेपरिया बालम बैंड एवं फकीरा खान फोक बैंड की शानदार संगीतमय प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

करवा चौथ आजः पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें रखेंगी व्रत

बाजारों में खरीदारी की रौनक



उदयपुर(नगर संवाददाता)। सुहाग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ का पर्व आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखेंगी। दिनभर व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को करवा माता की पूजा-अर्चना करेंगी और रात में चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोलेंगी। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व के लिए महिलाएं कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। बाजारों में साड़ी, लहंगे, चूड़ियां, आभूषण, मेहंदी और पूजन सामग्री की दुकानों पर रौनक नजर आ रही है। महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े और शृंगार की सामग्री खरीद रही हैं। वहीं, मेहंदी लगवाने को लेकर भी महिलाओं में खासा उत्साह है।

पर्व के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सरगी ग्रहण करेंगी। इसके बाद दिनभर निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगी। शाम को महिलाएं सज-धजकर पूजा की थाली तैयार करेंगी और करवा चौथ की कथा सुनेंगी।

कई स्थानों पर महिलाएं समूह में एकत्रित होकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना करेंगी। रात में चंद्रमा के उदय होने का इंतजार रहेगा। चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अर्घ्य देकर पति की आरती उतारेंगी और उनके हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी। कुछ परिवारों में इस अवसर पर विशेष पकवान भी बनाए जाएंगे। करवा चौथ केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समर्पण को भी दर्शाता है। बदलते समय के साथ कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखकर इस पर्व की खुशियों में सहभागी बनते हैं। पर्व को लेकर घरों में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है।

थार की टक्कर से बाइक चालक की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में थार की टक्कर से बाईक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पन्नालाल (35) पुत्र नारायणलाल रेगर निवासी लसानी देवगढ़ राजसमंद मंगलवार को उदयपुर में दवाई लेने के लिए बाइक पर आया था और दवाई लेकर वापस गांव लौट रहा था। अपरान्ह कैलाशपुरी में जम्मू हिमाचल ढाबा के वहां थार जीप ने टक्कर मार दी, उसे गंभीर घायलावस्था में राहगीर ने पास स्थित निजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर परिजनों का पता लगाया। इसी दौरान मृतक के भाई जगदीश का फोन आ गया और उसे पूरा घटनाक्रम बताया।

जाम से निजात के लिए 11 मार्गों पर नहीं आ सकेंगे भारी वाहन

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिला प्रशासन ने शहर की आंतरिक सड़कों पर लगातार लग रहे जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उदयपुर शहर के 11 प्रमुख चिन्हित स्थानों पर सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक 10 टन से अधिक सकल वाहन वजन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 28 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गया है और आगामी एक महीने की अवधि तक लागू रहेगा।

इसलिए लिया गया यह फैसला

जिला प्रशासन के अनुसार, शहर के आंतरिक मार्ग बेहद व्यस्त हैं और इनके दोनों ओर घनी आवासीय कॉलोनियां, बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और व्यापारिक बाजार स्थित हैं। इन सड़कों पर लगातार ट्रक, डम्पर और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों के प्रवेश करने से हर समय ट्रैफिक जाम और गंभीर सड़क हादसों का खतरा बना रहता था। इसके अलावा आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है।

इन 11 मार्गों पर नो-एंट्री का पहरा

- ट्रांसपोर्ट नगर से प्रतापनगर चौराहा की तरफ और शहर की ओर आने वाले मार्ग पर।
- बलीचा चौराहा, प्रतापनगर चौराहा, चित्रकूटनगर से भुवाणा चौराहा तक।
- रामपुरा चौराहा से सुभाष चौराहा की तरफ आने वाले रास्ते पर।
- भुवाणा चौराहा से भुवाणा गांव, सेलिब्रेशन मॉल, आरके सर्कल होते हुए शहर की तरफ।
- बेदला से साईफन तिराहा होते हुए फतहपुरा चौराहा शहर की तरफ।
- सुखेर घाटी से सापेटिया होते हुए बेदला लाल बोट तिराहा तक।
- एकलिंगपुरा चौराहा से हिरण मगरी की तरफ आने वाले मुख्य मार्ग पर।
- लेबर चौराहा सविना से खेडा सर्कल की ओर जाने वाली सड़क पर।
- चुंगी नाका गोवर्धन विलास से उदयपुर शहर एवं सीए सर्कल की ओर।
- संत टेरेसा स्कूल नेला तालाब से सीए सर्कल और खेडा सर्कल की ओर।
- नया आरटीओ से कालका माता रोड एवं यूनिवर्सिटी रोड की ओर।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की अधिसूचना, एक माह तक लागू रहेगा प्रतिबंध

केंद्रीय सचिव सुधांश पंत 1 नवंबर को उदयपुर आएंगे

उदयपुर(वि.)। केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सुधांश पंत 1 नवंबर से उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सचिव पंत 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक पहुंचेंगे। पंत विद्या भवन सोसायटी की ओर से आयोजित एसईईडी-2 राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सचिव पंत 2 नवंबर को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा विभिन्न स्थलों का दौरा कर विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। वे 3 नवंबर को सुबह विमान द्वारा उदयपुर से प्रस्थान करेंगे।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड प्लॉट नंबर-23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलधन और ब्याज को अदायगी में चूक की है। ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति(ओं) (एनपीए) के रूप में प्रतीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसकी तामील नहीं हुई है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-उधारकर्ता/ जमानतदार का नाम (ऋण खाता संख्या) और पता	लागू की जाने वाली सुरक्षित संपत्ति का विवरण	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना के तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1	लीला वर्मा/लक्ष्मण कुमार (LBHU000006298834) और वैष्णवी सदन, हरिपुर गंगू, गली नंबर 3, धमुवाढूंगा हल्द्वानी, चौफुला चौराहा हरिपुर नायक, हल्द्वानी, उत्तराखंड नैनीताल - 263139	घर खसरा नंबर 3/2 पर बना है, जो स्थित है गांव हरिपुर गंगू, परगना भावर छ खाता, तहसील- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड 263126	05/10/2026 रु. 1,86,894.09/-	06/08/2026
2	लीला वर्मा/ लक्ष्मण कुमार (LBHIDI00006295481) और वैष्णवी सदन, हरिपुर गंगू, गली नंबर 3, धमुवाढूंगा हल्द्वानी, चौफुला चौराहा हरिपुर नायक, हल्द्वानी, उत्तराखंड नैनीताल- 263139	खसरा नंबर 3/2 पर बना घर, जो स्थित है गाँव हरिपुर गंगू, परगना- भावर छ खाता, तहसील- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड 263126	05/10/2026 रु. 13,80,433.09/-	06/08/2026
3	लीला वर्मा/ लक्ष्मण कुमार (LBHDI00006295479) और वैष्णवी सदन, हरिपुर गंगू, गली नंबर 3, धमुवाढूंगा हल्द्वानी, चौफुला चौराहा हरिपुर नायक, हल्द्वानी, उत्तराखंड नैनीताल - 263139	खसरा नंबर 3/2 मिनट पर बना घर, स्थित है गाँव हरिपुर गंगू, परगना- भावर छ खाता, तहसील- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड 263126	05/10/2026 रु. 48,69,229.09/-	06/08/2026

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपर्युक्त उधारकर्ताओं और/अथवा उनके गारंटीकर्ताओं (जो लागू हो) को सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान कर दें अन्यथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांकः 29 अक्टूबर, 2026, स्थानः उदयपुर

सादर प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

क्रमांक : प्रन्यास-I/ 2026-27/ 252
दिनांक : 28/10/2026
ऑनलाईन क्रमांक : 214281

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है भूखण्ड संख्या 1429 योजना हिरण मगरी सेक्टर-5, उदयपुर में स्थित है जिसका आकार 1920 वर्गफीट है। इस भूखण्ड को प्रार्थी श्री भगवती लाल मोगरा पिता श्री नाना लाल मोगरा को अपने नाम पर नामान्तरण जारी करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 17.10.2026 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका पड़ौस निम्नानुसार है:-

(ईस्ट) पूर्व : सड़क 30 फीट, (वेस्ट) पश्चिम : भूखण्ड संख्या 1424, (नोर्थ) उत्तर : भूखण्ड संख्या 1428, (साउथ) दक्षिण : भूखण्ड संख्या 1430

पूर्व में उक्त भूखण्ड नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के द्वारा दिनांक 06.05.1988 को श्री प्रेम प्रकाश भण्डारी पिता श्री कन्हैयालाल भण्डारी के नाम आवंटन किया गया। उक्त भूखण्ड वर्तमान में श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल पिता श्री देवीलाल पालीवाल एवं सुनील कुमार सालवी पिता भंवर लाल सालवी के नाम आलेख में दर्ज है।

प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2026 के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण चाहा जा रहा है।

अतः समस्त आम खास को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पड़ौसियों के मध्य उक्त भूखण्ड प्रार्थी के नाम करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रन्यास शाखा में प्रस्तुत करें, बाद समाप्त अवधि नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। सूचित रहे।

उपायुक्त- नगर निगम, उदयपुर

सूर्य के अनसुलझे रहस्यों पर उदयपुर में महामंथन, देशभर के 75 वैज्ञानिक जुटे



उदयपुर(वि.)। सूर्य की रहस्यमयी गतिविधियों, सौर विस्फोटों और पृथ्वी के अंतरिक्षीय वातावरण पर उनके प्रभावों को समझने के लिए झीलों की नगरी उदयपुर में देशभर के वैज्ञानिकों का महाकुंभ शुरू हुआ। फतहसागर झील के मध्य स्थित विश्वप्रसिद्ध उदयपुर सौर वेधशाला में तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय की उदयपुर सोलर फिजिक्स मीटिंग-2026 का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इसमें देश की प्रतिष्ठित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, इसरो केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 75 वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता सूर्य और अंतरिक्ष मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों पर मंथन कर रहे हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की उदयपुर सौर वेधशाला की मेजबानी में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इस वैज्ञानिक बैठक का मुख्य विषय सौर घटनाएं और अंतरिक्ष मौसम रखा गया है। तीन दिनों तक वैज्ञानिक सूर्य पर होने वाले विस्फोटों, उनसे उत्पन्न गतिविधियों के अंतरिक्ष में प्रसार तथा पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्षीय वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। साथ ही सूर्य के रहस्यों को सुलझाने में भारत के महत्वाकांक्षी आदित्य-एल 1 मिशन सहित अन्य अंतरिक्ष अभियानों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा।

आदित्य-एल 1 से सूर्य के अध्ययन को मिली नई दिशा : प्रो. जगदेव सिंह

बैठक के पहले दिन का प्रमुख आकर्षण पीआरएल का अमृत व्याख्यान रहा। इसमें प्रख्यात सौर वैज्ञानिक प्रो. जगदेव सिंह ने सूर्य के अध्ययन में हुई वैज्ञानिक प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने पृथ्वी पर स्थापित दूरबीनों और अंतरिक्ष वेधशालाओं से प्राप्त सूर्य के महत्वपूर्ण अवलोकनों के माध्यम से सौर अनुसंधान की विकास यात्रा को रेखांकित किया। प्रो. सिंह ने बताया कि आधुनिक सौर अवलोकन तकनीकों ने सूर्य और उसके निरंतर परिवर्तनशील वातावरण को समझने की नई संभावनाएं विकसित की हैं।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F-7 (JB.PLAN/MISC/2026-27) दिनांक :- यथाहस्ताक्षरित

आम - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत विचाराधीन है-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम / योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री हेमन्त कुमार शर्मा	नेला	2509 मीन	11	3018.67 वर्गफीट	राजस्व ग्राम नेला में प्रस्तावित 80 फीट सड़क पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

आरबीएल बैंक लिमिटेड

RBL BANK apno ka bank

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर-416001
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, भवन संख्या 1, मोदी मिल्स परिसर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 3, नई दिल्ली 110020

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के अंतर्गत बैंक को भारित अचल परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 8(6) के साथ पठित

आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु होने की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं) को सूचित किया जाता है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड **('सुरक्षित लेनदार/बैंक')** के पास गिरवी रखी गई/चार्ज की गई नीचे बताई गई अचल संपत्तियों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'संपत्ति' कहा गया है) का कब्जा, बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 और संबंधित नियमों के तहत ले लिया गया है। बैंक की बकाया राशि और उस पर लगने वाले ब्याज की वसूली के लिए, इन संपत्तियों को **'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, जो है', 'जो कुछ भी है' और 'बिना किसी जवाबदेही'** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री नियमों के नियम 8 और 9 के तहत की जाएगी, जिसके लिए नीचे दिए गए ई-नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं:

पक्षों, बकाया राशि और संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	उधारकर्ता और गारंटर (गारंटरों) का नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि / सरफेसी अधिनियम के तहत डिमांड और पज़ेशन नोटिस की तारीख	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	दस्तावेज़ों के साथ बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि	अधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नंबर/ ईमेल आईडी
1.	**मैसर्स किरण सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, (अपने निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवेक लासोड के माध्यम से),** जोगीवाड़ा 88, वुडलैंड शोरूम के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर-313001	व्यावसायिक संपत्ति, प्लॉट नंबर 34/107-88, जोगीवाड़ा, उदयपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 774.50 वर्ग फुट।	रु. 3,54,55,164.51/- (तीन करोड़ चौवन लाख पचपन हजार एक सौ चौंसठ रुपये और इक्यावन पैसे मात्र) 14.10.2022 तक। 18.10.2022 के डिमांड नोटिस के संदर्भ में, **भौतिक कब्जा नोटिस (फिजिकल पज़ेशन नोटिस) की तारीख:** 21.03.2025	**आरक्षित मूल्य: रु. 1,45,33,074/-** (एक करोड़ पैंतालीस लाख तैंतीस हजार चौहत्तर रुपये मात्र) **बयाना राशि (ईएमडी): रु. 14,53,307/-** (केवल चौदह लाख तिरपन हजार तीन सौ सात रुपये)।	16.11.2026 को शाम 05:00 बजे	16.11.2026 को या उससे पहले सुबह 10:00 बजे तक।	**प्राधिकृत अधिकारी: श्रीमती मोनिका गुप्ता संपर्क नं.: 9910570226 ईमेल आईडी: Monica.Gupta@rbl.bank.in अर्पण वोहरा संपर्क नं.: 9015369699 ईमेल: Arpan. Vohra1@rbl. bank.in**
2.	**विवेक लासोड (निदेशक, मैसर्स किरण सेल्स प्राइवेट लिमिटेड)** जोगीवाड़ा 88, वुडलैंड शोरूम के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर-313001						
3.	**कमला लासोड,** जोगीवाड़ा 88, वुडलैंड शोरूम के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर-313001						
4.	**किरण चंद्र लासोड (सह-आवेदक) (स्वर्गीय) के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि,** जोगीवाड़ा 88, वुडलैंड शोरूम के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर-313001						

नियम एवं शर्तें:

(1) ई-नीलामी की बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने एवं ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट https://bankauctions.in तथा https://www.rblbank.com/pdf-pages/news पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों का अवलोकन कर लें।

(2) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति का निरीक्षण करना तथा उसकी स्थिति एवं विनिर्देशों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।

(3) इच्छुक बोलीदाताओं को अपने विवरण एवं दस्तावेज वेबसाइट https://bankauctions.in के माध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड द्वारा जमा करने होंगे। वेबसाइट पर अपना नाम पंजीकृत कर निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है। राशि का भुगतान आरबीएल बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अथवा दिनांक 16-11-2026 को या उससे पूर्व प्रातः 10:00 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। खाता नाम: ऑक्शन प्रोसीड्स कलेक्शन जीएल, खाता संख्या: 2599001000139998, आईएफएससी कोड: RATN0000100. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में सहायता अथवा ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु **मैसर्स 4CLOSURE के हेल्पलाइन नंबर 8142000061/62/63/64, ई-मेल info@bankauctions.in तथा वेबसाइट https://bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क व्यक्ति श्री राजीव पांडे, मोबाइल नंबर 8142000030, ई-मेल rajiv@bankauctions.in हैं। संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए बैंक की प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती मोनिका गुप्ता, मोबाइल नंबर 9910570226, ई-मेल Monica Gupta@rbl.bank.in तथा श्री अर्पण वोहरा, मोबाइल नंबर 9015369699, ई-मेल Arpan.Vohrav@rbl.bank.in से संपर्क किया जा सकता है।**

(4) बैंक का प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा किसी भी समय नीलामी स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।

(5) सफल बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार हस्तांतरण विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि सभी देय शुल्क एवं खर्चों का भुगतान स्वयं करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञात अथवा अज्ञात वैधानिक, सरकारी एवं श्रम संबंधी बकाया तथा करों का भुगतान भी क्रय मूल्य के अतिरिक्त सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

(6) सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के अगले दिन तक, पहले से जमा ईएमडी की राशि समायोजित करने के बाद, बोली राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तारीख से 15वें दिन तक अथवा प्राधिकृत अधिकारी की सहमति से लिखित रूप में निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में 25 प्रतिशत अथवा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने में विफल रहने पर जमा की गई संपूर्ण राशि, जिसमें ईएमडी भी शामिल है, बिना किसी सूचना के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा नीलामी बिक्री को स्थगित, आगे बढ़ाने अथवा निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

सरफेसी अधिनियम के तहत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (यदि इनमें से किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं) को सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले, ऊपर बताई गई राशि का भुगतान करें। इसमें आगे का ब्याज, दंड-ब्याज और ट्रांजेक्शन दस्तावेजों के अनुसार देय अन्य राशियाँ भी शामिल हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा।

दिनांक: 29-10-2026
स्थान: राजस्थान

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड